कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कबीरधाम(छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक/8250/सां.लि/कोरोना/2020 कवर्धा, दिनांक 27.11.2020

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक 404/स.सा.प्र.वि./2020 नवा रायपुर, दिनांक 13.10.2020 के द्वारा कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में धार्मिक एवं अन्य कार्यक्रम आयोजन हेतु जारी मानक संचालन प्रकिया(एस.ओ.पी.) की कड़ाई से पालन करने की शर्त पर नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 30.11.2020 को गुरूनानक जयंती पर्व हेतु निम्नांकित निर्देश प्रसारित किया जाता है। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

1. गुरूनानक जयंती (गुरू पर्व) पर्व दिनांक 30.11.2020 के कार्यक्रम गुरूद्वारे के भीतर ही सम्पन्न किया जावे।
2. गुरूनानक जयंती पर्व हेतु नगर कीर्तन, रैली, शोभायात्रा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार सुनिश्चित किया जावे।
3. गुरूद्वारे हॉल के भीतर निर्धारित क्षमता के केवल 50 प्रतिशत व्यक्ति ही एक समय में प्रवेश करेंगें, इस हेतु प्रबंधन समिति सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगी।
4. गुरू लंगर का प्रसाद गुरूद्वारे के भीतर ही पैकेट के माध्यम से वितरित किया जावे, सभी कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, इस हेतु गुरूद्वारा प्रबंधन समिति के द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित किया जावे। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के गुरूद्वारे के भीतर प्रवेश नहीं करेगा।
5. गुरूद्वारा के प्रवेश द्वार के समक्ष प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्तियों का सेनेटाईजर से सेनेटाईज किया जावे, प्रबंधन समिति के द्वारा गुरूद्वारे के भीतर समय-समय पर सेनेटाईजर का छिड़काव किया जाना सुनिश्चित करेगी।
6. गुरूद्वारा के भीतर किसी भी स्थान पर भीड़ न हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये।
7. कार्यालय मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक 625/सीएस/2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 09.11.2020 में दिये गये निर्देशानुसार गुरूनानक जयंती पर्व में ग्रीन फटाका फोड़ने की अनुमति होगी, फटाके फोड़ने की अवधि केवल 02 घंटे (रात्रि 08:00 बजे से 10:00 बजे तक) की होगी। सभी कार्यक्रम रात्रि 10.00 बजे तक पूर्ण कर लिया जावे।
8. गुरू पर्व आयोजन स्थलों में छोटे बच्चे एवं बुजुर्ग/वृद्ध को जाने की अनुमति नहीं होगी, प्रबंधन समिति इस हेतु आवश्यक व्यवस्था कोरोना संक्रमण को देखते हुए सुनिश्चित करेंगे।
9. गुरूनानक जयंती पर्व स्थलों मे किसी प्रकार के बाजार, मेला, दुकान, इत्यादि लगाने की अनुमति नही होगी एवं गुरूनानक जयंती पर्व स्थलों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।
10. आयोजक/आयोजनकर्ता कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से करेंगें।
11. उपरांकित सभी निर्देशों के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश दिनांक 04 जून, 2020 के अंतर्गत जारी एस.ओ.पी. का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 सहपठित एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत विधि अनुकूल कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

27/11/2020

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला-कबीरधाम

Scanned with CamScanner

पृ.क्रमांक / 4271 / सां.लि / कोरोना / 2020 कवर्धा, दिनांक 27.11.2020

प्रतिलिपि –

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग, जिला दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला कबीरधाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सर्व जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कबीरधाम को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, कबीरधाम को kawardha.gov.in में जनसामानय के सुविधा हेतु आदेश की प्रति अपलोड करने सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. सहायक संचालक, जनसंपर्क, कबीरधाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व संबंधित श्री...को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

27/11/2020

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला कबीरधाम

Scanned with CamScanner